मध्यप्रदेश सूक्ष्म और लघु उद्यम फेसिलिटेशन काउन्सिल,

(सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 के अध्याय 5 अन्तर्गत,म.प्र.शासन, वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग,मंत्रालय, भोपाल की अधिसूचना क्र.F.6-12/98/A-XI, दिनांक 10.01.2007 से एवं माध्यस्थम और सूलह अधिनियम 1996 (1996 का संख्यांक 26) के सुसंगत कृत्यों के पालन हेतु गठित।)

उद्योग संचालनालय, मध्यप्रदेश।

विन्ध्याचल भवन, भोपाल।

जावक क्रमांक 392-25
भोपाल, दिनांक 30/6/2020

प्रकरण क्रमांक एम.एस.ई.एफ.सी/785/2017

आवेदक

मेसर्स बंसल इंडस्ट्रीज,
श्री शिशिर अग्रवाल, प्रोपरायटर,
मयूर टाकीज के सामने
बालाघाट – 481001 (म.प्र.)।

विरूद्ध

अनावेदकगणः–

1- Gammon India Ltd.,
Gammon House,
Veer Sawarkar Marg, Prabha Devi,
Mumbai- 400025

2- Project Manager
M/s Gammon India Ltd.,
8826/8827-2 Nos NDCT & 1 No. Chimney
Khandwa of MP Power Generating Company Ltd.,
(EPC Project)
Shri Singaji Thermal Power Project,
Village - Dongalia, Post - Mundi,
Distt. Khandwa - 450 001 (M.P.)

3- Project Manager,
M/s L&T Limited,
Shri Singaji Thermal Power Project, Village - Dongalia, Post - Mundi,
Distt. Khandwa - 450 001 (M.P.)

अन्तिम सुनवाई दिनांक 23.06.2020
माध्यस्थम आदेश दिनांक 30.06.2020

आवेदक द्वारा दिनांक 30.08.2017 को प्रस्तुत दावा आवेदन–पत्र में निम्नानुसार दावे का प्रस्तुतीरण किया हैः–

अनावेदक द्वारा एम एस फ्यूल डक्ट के निर्माण, गर्डर प्लेटफार्म का निर्माण, लेबर कौलौनी का निर्माण, स्टॉफ कौलौनी का निर्माण, साईट ऑफिस का निर्माण कार्य करने हेतु कुल राशि रू. 1,91,44,261/– के 5 कार्यादेश दिनांक 18.01.2010, 01.02.2010, 15.03.2010, 13.03.2010, एवं 05.04.2011 आवेदक को दिये गये।

आवेदक द्वारा अनावेदक के उक्त कार्यादेशों के अनुरूप कार्य कर, वेट एवं सर्विस टैक्स सहित कुल राशि रू. 2,05,09,028/– के बिल्स समय–समय पर भुगतान हेतु आवेदक द्वारा अनावेदक को प्रस्तुत किये गये।

आवेदक ने लेख किया कि अनावेदक के किये गये कार्यो की स्वीकारोक्ति, अनावेदक द्वारा बिलों पर अंकित है। अनावेदक द्वारा ई–मेल दिनांक 07.08.2012 एवं 25.08.2012 के संलग्न प्रेषित अकॉउन्ट स्टेटमेंट अन्तर्गत आवेदक द्वारा प्रदायित सामग्री एवं स्थापना संबंधी किये गये कार्य के उपरांत अनावेदक पर बकाया राशि की पुष्टि की गई है।

.....2

Scanned by CamScanner

आवेदक एवं अनावेदक द्वारा निविदा की समान्य शर्ते हस्ताक्षरित की गई है।

आवेदक द्वारा बकाया राशि के भुगतान के संबंध में अनावेदक को दिनांक 10.10.2011, 26.06.2012, 13.02.2014, 05.06.2014, 01.11.2014 को पत्र लिखे गये।

आवेदक द्वारा अनावेदक के आदेशानुसार किये गये कार्यो के संबंध में अनावेदक द्वारा कभी कोई आपत्ति नही की गई।

आवेदक द्वारा देयक क्रमांक 56, दिनाक 01.11.2011 की राशि रू. 37,32,512/– एवं देयक क्रमांक 92, दिनांक 21.03.2012 की राशि रू. 24,23,732/– कुल संदाय राशि रू. 61,56,244/– एवं इस राशि पर 31.07.2017 तक की संगणित ब्याज राशि रू. 1,19,80,188/– कुल राशि रू. 1,49,72,434/– एवं भुगतान दिनांक तक का ब्याज दिलाने हेतु प्रार्थना की है।

आवेदक द्वारा प्रस्तुत दावा आवेदन पत्र, पर अनावेदकगणों की ओर से दिनांक 12.03.2020 को प्रस्तुत उत्तर निम्नानुसार है :–

1. अनावेदक का कथन है कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत दावा, समय बाधित है। आवेदक द्वारा अंतिम कॉज़ ऑफ एक्शन की तारीख से तीन साल के भीतर काउन्सिल में दावा प्रस्तुत नही किया गया है। आवेदक का दावा लिमिटेशन एक्ट 1963 की धारा 3 समयसीमा में प्रस्तुत नही होने से, खारिज किये जाने योग्य है।

2. यह कि यह विवाद एमएसएमई काउन्सिल भोपाल के न्यायाक्षेत्र की परिधि में नही होने से सुनवाई का अधिकारी नही है। यह विवाद एमएएसएमई काउन्सिल, रायपुर, छत्तीसगढ़ में प्रस्तुत किया जाना चाहिये। इस आधार पर आवेदक का दावा खारिज किये जाने योग्य है।

3. आवेदक के श्री शिशिर अग्रवाल, प्रोप. की इकाई मेसर्स बंसल इण्डस्ट्रीज दिनांक 01.12.2016 को एमएसएमई, रायपुर में पंजीकृत है। यह कि एमएसएमई मध्यप्रदेश में 2013 में पंजीकृत बंसल इण्डस्ट्रीज़ को 2016 में स्थानान्तरित किया गया और एमएसएमई छत्तीसगढ़, रायपुर में पंजीकृत हुई है। आवेदक द्वारा प्रस्तुत पत्र दिनांक 11.01.2017 से ज्ञात होता है कि आवेदक द्वारा अपना बिज़नेस बालाघाट मध्यप्रदेश से रायपुर, छत्तीसगढ़ स्थानान्तरित कर लिया गया है और बालाघाट, मध्यप्रदेश में बिज़नेस बंद हो गया है। इसलिये आवेदक का मध्यप्रदेश में बिजनेस नही होने से एमएसएमई, भोपाल के न्यायक्षेत्र में नही है।

4. आवेदक द्वारा अपने दावे के समर्थन में 9 बिल्स प्रस्तुत किये गये है पर आवेदक इर्काई की सील अंकित नही है। आवेदक द्वारा प्रस्तुत बिल्स में दर्शाये गये कार्यों का प्रमाणीकरण के लिये दोनो पक्षों आवेदक एवं अनावेदक द्वारा हस्ताक्षरित मेज़रमेंट बुक्स की प्रति प्रस्तुत कराना होगी।

5. दावा आवेदन के संलग्न प्रस्तुत टेण्डर के पैराग्राफ 14 में आर्बिट्रेशन क्लॉज है, जिसमे लेख है कि "In the event of any dispute arising out of this Sub-Contract, the parties hereto agree that the matter shall be referred to the Sole Arbitration of an officer of the Company nominated by the Managing Director of the company (other than concerned with this Sub-Contract). The award of the Arbitrator so nominated shall be final ,conclusive and binding on all parties to this Sub-contract."

टेण्डर की जनरल कंडीशन दोनो पक्षों द्वारा हस्ताक्षरित कर सहमत है कि किसी भी विवाद के लिये अनावेदक के मैनेजिंग डायरेक्टर द्वारा आर्बिट्रेटर नामांकित किया जावेगा। अतः अनावेदक

.....3

Scanned by CamScanner

द्वारा मामला माध्यस्थम कार्यवाही एवं दावे के लिये भेज सकता है। इसके दृष्टिगत आवेदक द्वारा प्रस्तुत दावा खारिज किये जाने योग्य है। सामान्य नियम और शर्तों की प्रति "अनुलग्नक ए" के रूप में चिह्नित है।

6. आवेदक के आवेदन पत्र के बिन्दु 4 बी अनुसार संलग्नक उपयुक्त व्यक्ति या सी.ए. द्वारा प्रमाणित नही है। प्रस्तुत खाता विवरण भी उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा सत्यापित नही किया गया है।

7. आवेदक इतनी अधिक राशि का दावा प्रस्तुत करने का अधिकारी नही है। आवेदक का दावा काल्पनिक है, जो अनावेदक को अस्वीकार है। आवेदक द्वारा यह प्रमाणित नही किया है कि ब्याज के संबंध में कोई समझौता हुआ है। अतः अनावेदक ब्याज के दावे को अस्वीकार करता है।

8. अनावेदकगणों से एल एण्ड टी द्वारा अनुबंध निष्पादित किया गया है। अनावेदक को एल एण्ड टी से किये गये कार्य हेतु कोई भुगतान प्राप्त नही हुआ है। आवेदक की राशि के भुगतान हेतु अनावेदक द्वारा एल एण्ड टी से भुगतान करने हेतु अनुरोध किया गया कि वह अनावेदक की ओर से सीधे आवेदक को भुगतान करे। इस प्रकार अनावेदक द्वारा आवेदक की बकाया राशि के भुगतान में मदद की है, भले ही अनावेदक को एल एण्ड टी से समय पर भुगतान नही मिला है। आवेदक द्वारा दावा की गई राशि रू. 61,56,244/– एवं ब्याज राशि रू. 1,19,80,188/– अनावेदक पर बकाया नही है।

दिनांक 12.03.2018 को अनावेदकगणों की ओर से प्रस्तुत उत्तर पर आवेदक द्वारा दिनांक 08.05.2018 को प्रस्तुत रिज्वाईण्डर के बिन्दु निम्नानुसार है :–

1. अनावेदक द्वारा प्रस्तुत कथन आधारहीन और काल्पनिक है, इसलिये अस्वीकार्य है और यह भी अस्वीकार है कि आवेदक का दावा समय बाधित है। यह मान्य है कि आवेदक को कार्यवाही के अन्तिम कारण (Cause of action) से 3 वर्ष में दावा आवदेन प्रस्तुत करना होता है। आवेदक को यह अस्वीकार्य है कि आवेदक का दावा लिमिटेशन एक्ट की धारा 3 द्वारा वर्जित होने से, खारिज किये जाने योग्य नही है। वास्तविक तथ्य यह है कि आवेदक द्वारा दावा आवेदन पत्र 3 वर्ष की नियत समयावधि में कार्यवाही के अन्तिम कारण (Cause of action) दिनांक से 3 वर्ष की समयावधि में प्रस्तुत किया है। अनावेदक क्रमांक–3 द्वारा दिनांक 22 जनवरी 2015, चेक क्रमांक 468100 से राशि रू. 2,00,000/– तथा दिनांक 30 जुन, 2016 को राशि रू. 2,00,000/– का भुगतान किया गया है। इसके पश्चात अनावेदक, आवेदक द्वारा किये गये कार्य की बकाया राशि कां भुगतान नही किया है।

2. अनावेदक द्वारा प्रस्तुत कथन आधारहीन और काल्पनिक है, इसलिये अस्वीकार्य है कि विवाद में सुनवाई करने का न्यायक्षेत्र एमएसएमई काउन्सिल भोपाल को नही है और यह विवाद एमएसएमई काउन्सिल रायपुर के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिये। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 की धारा 18 (4) में विशेष रूप से एमएसएमई काउन्सिल का न्यायक्षेत्र प्रावधानित किया है, तदनुसार ही आवेदक द्वारा एमएसएमई काउन्सिल, भोपाल में प्रकरण पंजीकृत किया गया है, तत्समय आवेदक की ईकाई बालाघाट, में रजिस्टर्ड थी। अनावेदक को जारी टैक्स इन्वाईसेस जिस पर आवेदक का पंजीकृत कार्यालय अभिलिखित है, तथा टेण्डर डाक्यूमेंट आदि से स्पष्ट है कि आवेदक द्वारा दावा आवेदन सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 की धारा 18 (4)

.....4

Scanned by CamScanner

अनुसार प्रस्तुत किया गया है।

3. अनावेदक द्वारा प्रस्तुत कथन आधारहीन और काल्पनिक है, इसलिये अस्वीकार्य है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 की धारा 18 (4) विशष रूप से आवेदक को दावा प्रसुत्त करने का अधिकार प्रदान करती है। एमएसएमई परिषद, भोपाल के समक्ष पंजीकृत विवाद के समय आवेदक की इकाई बालाघाट, मध्यप्रदेश में पंजीकृत थी, जो आज तक चालु है। आवेदक यह भी स्वीकार करता है कि आवेदक के पास आज भी वैध जीएसटी पंजीकरण, बिजली बिल, और बालाघाट, गोंदिया में पंजीकृत कार्यालय का पूरी तरह से परिचालन बैंक खाता है।

4. आवेदक विशेषतः अस्वीकार करता है कि अनावेदक द्वारा जारी कार्यादेश, आवेदक के छत्तीसगढ़ के पते पर भेजा गया था। वास्तविक तथ्य यह है कि निविदा को अनावेदक द्वारा आवेदक के पंजीकृत कार्यालय, बालाघाट में आवंटित किया गया था, जिसका अभिलेख एनेक्चर–पी–10 के रूप में दर्ज है, और अनावेदक को स्वीकार्य है।

5. अनावेदक का कथन कि टेण्डर की जनरल कंडीशन दोनो पक्षों द्वारा हस्ताक्षरित कर सहमत है कि किसी भी विवाद के लिये अनावेदक के मैनेजिंग डायरेक्टर द्वारा आर्बिट्रेटर नामांकित किया जावेगा। अतः अनावेदक द्वारा मामला माध्यस्थम कार्यवाही एवं दावे के लिये भेज सकता है। इसके दृष्टिगत आवेदक द्वारा प्रस्तुत दावा खारिज किये जाने योग्य है, के संबंध मे आवेदक द्वारा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 की धारा 18. Reference to Micro and Smll Enterprises Facilitation Council एवं 24. Overriding effect दर्शाते हुए, काउन्सिल को सुनवाई का अधिकार होने का उल्लेख किया गया है।

5. आवेदक ने अनुरोध किया कि वाद व्यय अनावेदक पर अधिरोपित किया जाय। अनावेदक द्वारा दावा आवेदन के पोषण एवं क्षेत्राधिकार, के संबंध मे उठाई गई अपत्ति, एवं अनावेदक द्वारा प्रस्तुत लिमिटेशन के कथनों को आवेदक द्वारा प्रस्तुत दावा आवेदन पत्र एवं रिज्वाईण्डर के प्रकाश में खारिज किया जावे।

अनावेदक द्वारा अन्तिम सुनवाई दिनांक 23.06.2020 को समरी एवं लिखित बहस प्रस्तुत की गई।

प्रकरण सुनवाई दिनांक 01.03.2018, 25,04,2019, 09.06.2010 एवं दिनांक 23.06.2020 को नियत किया गया।

प्रकरण सुनवाई दिनांक 01.03.2018 एवं दिनांक 25.04.2019 को उभयपक्षों के मध्य सुलह हेतु नियत किया गया। सुनवाई दिनांक 25.04.2019 को अनावेदक अधिवक्ता ने व्यक्त किया कि अनावेदक कम्पनी के डायरेक्टर्स कोई सुलह नही करना चाहते है। अतः काउन्सिल द्वारा प्रकरण में सुलह की कार्यवाही समाप्त कर, प्रकरण माध्यस्थम कार्यवाही एवं अन्तिम बहस हेतु नियत किया गया।

अन्तिम सुनवाई दिनांक 23.06.2020 को आवेदक एवं अनावेदक उपस्थित हुए।

आवेदक विडियों कान्फ्रेन्सिंग के माध्यम से उपस्थित हुए एवं अनावेदक स्वयं उपस्थित हए।

प्रकरण में दोनो पक्षों की बहस को सुना गया। अनावेदक द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस को पढ़ कर आवेदक को सुनाया गया और एक प्रति आवेदक को मेल करने हेतु आदेश दिये गए। आवेदक का कहना है कि अनावेदक ने ऐसे कोई नवीन तथ्य प्रस्तुत नही किए जोकि उन्होनें पूर्व में अपने जवाबदावा में नही दिए हो। अनावेदक ने अपनी लिखित बहस में कहा कि प्रकरण में सुनवाई के

.....5

Scanned by CamScanner

अधिकार परिषद के न्यायिक क्षेत्र में नहीं है, जिस पर आवेदक द्वारा बालाघाट जिले के महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र कार्यालय में अपने पंजीयन का नवीनीकरण पत्र प्रस्तुत किया।

अनावेदक द्वारा अपनी बहस में जिन बिन्दुओ को उठाया गया, उन पर आवेदक ने प्रति–उत्तर में बहस की।

प्रकरण में वाद बिन्दु निम्नानुसार है :–

(1) क्या इकाई मध्यप्रदेश में पंजीकृत है?
(2) क्या दावा आवेदन परिसीमा अधिनियम 1963 के प्रावधानों के विरूद्ध प्रस्तुत किया है?
(3) क्या आवेदक का आवेदन आर्बिट्रेशन अनुबंध अन्तर्गत बाधित है?
(4) क्या आवेदक को दावा राशि प्राप्त करने की पात्रता है?

(1) आवेदक द्वारा प्रस्तुत महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, द्वारा जारी EM PART-II फार्म नम्बर 00114 की अभिस्वीकृति में दर्शाये अनुसार मेसर्स बंसल इण्डस्ट्रीज़, बालाघाट मध्यप्रदेश में दिनांक 04.11.2003 से कार्यरत है। आवेदक इकाई का इन्टरप्रिन्यूर्स मेमोरेण्डम नम्बर 23 045 11 00114 PART-II दिनांक 07.08.2007 को जारी किया गया है। आवेदक द्वारा प्रस्तुत उद्योग आधार मेमो रेण्डम क्रमांक CG14B0001858 के अनुसार आवेदक इकाई मेसर्स बंसल इण्डस्ट्रीज का रायपुर, छत्तीसगढ़ में उद्यम प्रारंभ करने का दिनांक 01.12.2016 है।

आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र अनुसार अनावेदक द्वारा दिनांक 01.10.2010 से दिनांक 05.04.2011 तक जारी 5 कार्यादेशों अनुसार, आवेदक ने कार्य का संपादन कर, बिल दिनांक 31.03.2010 से दिनांक 21.03.2012 तक प्रस्तुत किये गये। अतः कार्यवाही के प्रारम्भ एवं अन्तिम कारण (Cause of action) की अवधि दिनांक 01.10.2010 से दिनांक 21.03.2012 है। तत्समय आवेदक का उद्यम बालाघाट मध्यप्रदेश में पंजीकृत था। अतः आवेदक, मध्यप्रदेश सूक्ष्म और लघु उद्यम फेसिलिटेशन काउन्सिल, में दावा आवेदन प्रस्तुत करने हेतु पात्र है।

(2) अनावेदक का कथन है कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत दावा, समय बाधित है। आवेदक द्वारा अंतिम कॉज़ ऑफ एक्शन की तारीख से तीन साल के भीतर काउन्सिल में दावा प्रस्तुत नही किया गया है। अतः परिसीमा अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार समयाबाह्य है।

उक्त सबंध में आवेदक का कथन है कि आवेदक द्वारा दावा आवेदन पत्र 3 वर्ष की नियत समयावधि में कार्यवाही के अन्तिम कारण (Cause of action) दिनांक से 3 वर्ष की समयावधि में प्रस्तुत किया है, क्यौंकि अनावेदक क्रमांक–3 Project Manager, M/s L&T Limited, द्वारा दिनांक 22 जनवरी 2015, के चेक क्रमांक 468100 से राशि रू. 2,00,000/– तथा दिनांक 30 जुन, 2016 को राशि रू. 2,00,000/– का भुगतान किया गया है। आवेदक द्वारा दावा आवेदन पत्र के साथ पृष्ठ–78 पर अनावेदक क्रमांक–3 M/s Larsen &Tubro Limited द्वारा आवेदक को, अनावेदक क्रमांक–1 एवं 2 की ओर से चेक क्रमांक 468100, दिनांक 22.01.2015 प्रति प्रस्तुत की गई है, जिससे राशि रू. 2,00,000/– का भुगतान आवेदक को किया गया है। अतः भुगतान दिनांक 22.01.15 से तीन वर्ष की समाप्ति दिनांक 21.01.2018 होती है, एवं आवेदक द्वारा अनावेदकगणों के विरूद्ध दिनांक 30.08.2017 को दावा आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। अतः आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र, परिसीमा अधिनियम 1963 के प्रावधानों के अनुसार समयाबाधित नही है।

.....6

Scanned by CamScanner

(3) टेण्डर की जनरल कंडीशन दोनो पक्षों द्वारा हस्ताक्षरित कर सहमत है कि किसी भी विवाद के लिये अनावेदक के मैनेजिंग डायरेक्टर द्वारा आर्बिट्रेटर नामांकित किया जावेगा। अतः अनावेदक द्वारा मामला माध्यस्थम कार्यवाही एवं दावे के लिये भेज सकता है। इसके दृष्टिगत आवेदक द्वारा प्रस्तुत दावा खारिज किये जाने योग्य है।

आवेदक द्वारा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 की धारा 18. Reference to Micro and Smll Enterprises Facilitation Council एवं 24. Overriding effect दर्शाते हुए, काउन्सिल को सुनवाई का अधिकार होने का उल्लेख किया गया है।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम अधिनियम 2006 की धारा 24 निम्नानुसार है :–

24. Overriding effect.- The provisions of sections 15 to 23 shall have effect notwithstanding anything inconsistent therewith contained in any other law for the time being in force.

आवेदक द्वारा प्रस्तुत दावा आवेदन के वाद विषय पर अनावेदक द्वारा कोई भी आर्बिट्रेटर नियुक्त नही किया गया है एवं न ही कोई कोई कार्यवाही प्रचलन में है। अतः मध्यप्रदेश सूक्ष्म और लघु उद्यम फेसिलिटेशन काउन्सिल को, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम अधिनियम 2006 के अन्तर्गत इस प्रकरण में सुनवाई कर, निर्णय पारित करने की अधिकारिता प्रदत्त है।

(5) आवेदक द्वारा अनावेदक पर दावा आवेदन पत्र के बिन्दु क्रमांक 9 दावा की गई संदाय की रकम में संदाय की कुल राशि रू. 61,56,244/– (बिल दिनांक 01.01.2011 की राशि रू. 37,32,512/– एवं बिल दिनांक 21.03.2012 की राशि रू. 24,23,732/–) एवं इस राशि पर दावा आवेदन पत्र के बिन्दु क्रमांक 10 में दिनांक 31.07.2017 तक की ब्याज राशि रू. 1,19,80,188/– का दावा प्रस्तुत किया गया है।

आवेदक द्वारा अनावेदक पर दावा की गई बकाया मुलधन राशि रू. 61,56,244/– एवं इस पर दिनांक 31.07.2017 तक की ब्याज राशि रू. 1,19,80,188/– के संबध में अनावेदक द्वारा प्रस्तुत उत्तर दिनांक 12.03.2018 के बिन्दु क्रमांक 17 मे अनावेदक द्वारा बकाया राशि के संबंध में मात्र लेख किया है कि आवेदक द्वारा दावा की गई राशि रू. 61,56,244/– एवं ब्याज राशि रू. 1,19,80,188/– अनावेदक पर बकाया नही है। अनावेदक द्वारा यह राशि अनावेदक पर बकाया न होने के सबंध में न तो कोई तथ्य प्रस्तुत किये गये है एवं न, ही ऐसा कोई अभिलेख प्रस्तुत किया गया, जिससे उक्त राशि, अनावेदक पर बकाया नही होने की पुष्टि की जा सके।

आवेदक द्वारा वित्तीय वर्ष 2015–16 की प्रस्तुत ऑडिटेड बैलेंस शीट के संलग्न Sundry Debtors And Other Debit Balance की सुची, में Gammon India Khandwa के सामने दिनांक 31.03.2016 की स्थिति में बकाया राशि रू. 34,72,423.09 दर्शित है। अनावेदक क्रमांक–1 एवं 2 पर दिनांक 31.03.2016 की स्थिति में पूर्णांक में मूलधन राशि रू. 34,72,423/– बकाया होना प्रमाणित होता है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 की धारा 15 के अनुसार सामग्री प्राप्ति दिनांक से अधिकतम 45 दिवस की समयावधि अनावेदक द्वारा आवेदक को भुगतान किया जाना था। आवेदक द्वारा प्रस्तुत अन्तिम देयक दिनांक 21.03.2012 का है, तद्नुसार दिनांक 21.03.2012 से भुगतान हेतु 45 दिवस की समाप्ति दिनांक 05.05.2012 एवं अपाईन्टेड डे दिनांक 06.05.2012 नियत होती है। अतः आवेदक मूलधन राशि रू. 34,72,423/– एवं इस पर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 की धारा 16 के अनुसार दिनांक 06.05.2012 से भुगतान दिनांक तक का ब्याज अनावेदक क्रमांक–1 एवं 2 से पाने का अधिकारी है।

अतएव, "म.प्र. सूक्ष्म और लघु उद्यम फेसिलिटेशन काउन्सिल नियम 2017" के नियम–09

.....7

Scanned by CamScanner

अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, काउन्सिल निर्णय देती है कि अनावेदक क्रमांक–1- Gammon India Ltd., Gammon House, Veer Sawarkar Marg, Prabha Devi, Mumbai-400025 अनावेदक क्रमांक–2 - Project Manager, M/s Gammon India Ltd., 8826/8827-2 Nos NDCT & 1 No. Chimney Khandwa of MP Power Generating Company Ltd., (EPC Project), Shri Singaji Thermal Power Project, Village - Dongalia,Post-Mundi,Distt.Khandwa-450001(M.P.) द्वारा, उन पर बकाया संदाय राशि रू. 34,72,423/– (रूपये चौतीस लाख बहत्तर हजार चार सौ तेईस मात्र) एवं इस राशि पर नियत अपाईन्टेड डे दिनांक 06.05.2012 से दिनांक 23.06.2020 तक ब्याज राशि रू. 2,03,39,347/– (रूपये दो करोड़ नौ लाख तिरयानवें हजार नौ सौ सैतालिस मात्र) कुल राशि रू. 2,38,11,797/– (रूपये दो करोड़ अड़तीस लाख ग्यारह हजार सात सौ सन्त्यानवें मात्र) एवं भुगतान दिनांक तक की ब्याज राशि का भुगतान "सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006" की धारा 16 में वर्णित प्रावधान अनुसार, आवेदक मेसर्स बंसल इंडस्ट्रीज, श्री शिशिर अग्रवाल, प्रोपरायटर, मयूर टाकीज के सामने, बालाघाट (म.प्र.) को आदेश पारित होने की सूचना प्राप्ति दिनांक से, 30 दिवस में किया जावे।

अनावेदक द्वारा समयावधि में भुगतान न करने पर, आवेदक, अनावेदक द्वारा उपरोक्तानुसार देय कुल राशि पर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 की धारा 16 में वर्णित प्रावधान अनुसार, भुगतान दिनांक तक, मासिक आधार पर, चक्रवृद्धि ब्याज, पाने का अधिकारी होगा।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 की धारा 19 में निहित आज्ञापक प्रावधान अनुसार, अनावेदक, पारित इस आदेश/अवार्ड के विरूद्ध अपील दिनांक तक की, कुल संगणित ब्याज सहित मूलधन राशि की 75 प्रतिशत राशि, सक्ष्म प्राधिकारी/अपील न्यायालय के समक्ष जमा कर, इस आदेश/अवार्ड के विरूद्ध अपील कर सकेगा।

प्रकरण में पारित आदेश की प्रति निःशुल्क उभयपक्षों को प्रदान की जावेगी। अभिप्रमाणित प्रति के लिए नियमानुसार सचिव, "मध्यप्रदेश सूक्ष्म और लघु उद्यम सुविधा परिषद" भोपाल को आवेदन कर, प्रति पृष्ठ हेतु रू. 2/– के मान से लेखा शाखा में राशि जमा करना आवश्यक होगा।

उभयपक्ष अपना–अपना वाद स्वयं वहन करेंगे।

30/6

(दीपाली रस्तोगी)
उद्योग आयुक्त एवं
अध्यक्ष,
म.प्र. सूक्ष्म और लघु उद्यम
सुविधा परिषद, भोपाल।

30/6

(जी. एस. सरमा)
शासकीय सदस्य,
म.प्र.0 सूक्ष्म और लघु उद्यम
सुविधा परिषद, भोपाल
एवं
अतिरिक्त महाप्रबंधक,
भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक,
भोपाल।

30/6

(सी. मिंज)
शासकीय सदस्य,
म.प्र. सूक्ष्म और लघु उद्यम
सुविधा परिषद, भोपाल
एवं
सहायक प्रबंधक,
एमएसएमई विकास संस्थान,
भोपाल।

Scanned by CamScanner